(घ) यदि हां, तो देश में कुल कितनी वार्षिक क्षमता का उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) अधिष्ठापित क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं और उत्पादन क्षमता के कम उपयोग का उत्पादन लागत पर क्या असर पड़ेगा?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव):

(क) जी, हां।

(ख) वनस्पति तेल उद्योग को वर्ष 1991 में लाइसेंस मुक्त किया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बीज के संबंध में तिलहन पेराई उद्योग की कुल स्थापित क्षमता 400 लाख टन होने का अनुमान है।

(ग) जी, हां।

(घ) तिलहन पेराई उद्योग की कुल वार्षिक उपयोग क्षमता के लगभग 30% होने का अनुमान है।

(ङ) उपयोग क्षमता में कमी रहने के कुछ कारण निम्न प्रकार से हैं:—

(1) क्षमता का सृजन उपलब्ध कच्ची सामग्री के बिल्कुल अनुरूप नहीं है।
(2) अप्रयुक्त/पुरानी प्रौद्योगिकी।
(3) कड़ी प्रतिस्पर्धा, अक्षम प्रचालन आदि के कारण लाभ का बहुत कम होना।
(4) व्यापार के अनिश्चितता की प्रकृति।

उत्पादन क्षमता के उपयोग में कमी मूलतः कच्चे माल के पर्याप्त रूप से उपलब्ध न होने के कारण है। अतः उत्पादन पर इसका कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं है।

Vacancies in Entry Level Posts in N.E. Zone of F.C.I.

1445. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether more than 500 entry level posts are lying vacant in the Food Corporation of India's North-Eastern Zone;

(b) whether not a single case out of 51 applications for appointment on compassionate ground in the said Zone has been entertained during the last five years;

(c) if so, the reasons for such apathy towards this zone;

(d) if not, the factual position of the same; and

(e) the steps taken for filling up those posts and by when the same would be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) No Sir. Overall there is a surplus in entry level posts in N.E. Zone against the sanctioned strength.

(b) During the last 5 years, 67 persons were appointed on compassionate ground in Food Corporation of India, NE Zone.

(c) Dpes not arise, in view of the position stated in reply to parts (a) and (b) of the Question as above.

(d) At present 75 applications are pending for consideration for compassionate ground appointment. However, due to revision of post based roster in the light of the Supreme Court order and also due to Government of India's order dated 26.9.1998 issued by Deptt. of Personnel & Tranining on restriction upto 5% for such appointments of the direct recruitment element, fresh intake on compassionate appointment are slow/held up.

(e) Based on the judgement of the Supreme Court the revision of post based roster are being carried out. As and when this exercise is completed, necessary action will be taken keeping in view the above Government of India Instructions.

Release of Rice-Quota to RIMS Hospital in Manipur

1446. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government do not release the Manipur State food quotas, with the rice quota of the patients, to the Regional Institute of

Medical Science (RIMS) Hospital Lamphelpat, Manipur; and

(b) if so, the reasons for the Centre not alloting the quotas of rice, sugar, K. Oils and edible oils for the hospital of RIMS?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) Yes Sir.

(b) The Central Government make allocation of rice, wheat sugar, kerosene and edible oil in bulk to the State/Union territories as a whole. Specific allocation to any organisation or institution of the State/UT is not made. The allocation and distribution within the State/UT is carried out by the State Government/UT Administration.

आयातित पामोलीन तेल में मिलावट

1447.**श्री ईश दत्त यादव:**
प्रो॰ रामगोपाल यादव:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन द्वारा आपूर्ति किए गए आयातित खाद्य तेल पामोलीन में मिलावट है;

(ख) क्या सरकार ने उस विभाग में कोई निरीक्षण किया है जहां इस तेल की पैकिंग करते हैं, यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट के क्या परिणाम निकले हैं तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या पूर्व में भी पैकिंग विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की गई और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन द्वारा मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, अमृतसर, कानपुर, बंगलौर और चेन्नाई में तेल की पैकिंग की जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां पर हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य तेलों की पैकिंग की जा रही है, से इस तेल में मिलावट की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक दिल्ली इकाई का संबंध है, वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय ने तेल के नमूने लिये हैं और किसी भी नमूने में कोई मिलावट नहीं पाई गई है।

हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन द्वारा तेल की पैकिंग

1448.**प्रो॰ रामगोपाल यादव:**
श्री रमा शंकर कौशिक:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कंपनी हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन में खाद्य तेलों की पैकिंग संबंधी जांच इस संबंध में जारी निर्देशों के बावजूद नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन की निगरानी

1450.**प्रो॰ रामगोपाल यादव:**
श्री रमा शंकर कौशिक:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन के विभिन्न विभागों/इकाइयों के कार्यकरण की निगरानी की जाती है;

(ख) क्या गत कई वर्षों से स्थानान्तरण/टेंडर, नियुक्ति, पदोन्नति और कंपनी के अन्य मामलों में मानकों व मानदंडों को नजरअंदाज किया जाता रहा है;